नो-पेशी

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

4.11.19 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

[illegible] जी मीटिंग में/भ्रमण/[illegible] हो चुका है/अवकाश पर गये हुए [illegible] उनके समक्ष दिनांक 21.1.20 को प्रस्तुत हो।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

21/1 पदाधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/[illegible] हो चुका है/अवकाश पर गये हुए हैं। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 30/3/20 को प्रस्तुत हो।

30/3 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पदाधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/[illegible] हो चुका है/अवकाश पर गये हुए हैं। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 9/6 को प्रस्तुत हो।

9/6 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पदाधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/[illegible] हो चुका है/अवकाश पर गये हुए हैं। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 18/8 को प्रस्तुत हो।

9.7.20

वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं वकील ने संयुक्त पत्र पेश कर निवेदन किया की आपसी समझौता वार्ता के मध्य राजीनामा वार्ता के लिये आज का पत्र आगे चलाना नहीं चाहते हैं फिर भी प्रा. पत्र पुनः पेश करने के तमादी होने से सुरक्षित रखते हुए इसे नामंजूर विड्रॉल लिया जावे।

वकील प्रार्थी के निवेदन पर उक्त एतराज की बाबत्ते नया उक्त धारा 115 बजाय धारा 53,88,152 RLR के नामंजूर विड्रॉल किया जाकर पत्रावली निस्तारण समाप्त किया जाकर लंबित रखकर या

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

सेवा में

श्रीमान न्यायालय कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
महोदय, खींवसर

वादी बनाम प्रतिवादी
श्रीकी पुनी

उ.न. 54/19 दिनांक 18/8/20

वाद अन्तर्गत धारा 53 88/188 RLR Act

श्रीमान जी

उपरोक्त अनवान में वादिया कि ओर से निम्न निवेदन है।

1 यह है कि उक्त अनवान न्यायालय बाड़ा में विचाराधीन चल रहा है जिसकी आगामी तारीख पेशी दिनांक 18/8/20 को नियत है

2. यह है कि उक्त अनवान में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है जिस कारण पक्षकारान उक्त अनवान को चलाना नहीं चाहते हैं अतः निर्णय रणाधिक करवाना चाहते हैं आवश्यक उक्त अनवान को पत्रावली निर्णय बाद तारीख पेशी पर लेकर रणाधिक करने कि आदेश प्रदान करावे

3 यह है कि वादी को पुनः वाद पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए रणाधिक करने कि कृपा करावे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि उक्त पत्रावली बाद तारीख पेशी पर लेकर पत्रावली निर्णय रणाधिक करने कि आदेश प्रदान करावे।

श्रीकी
वादी